

Section 17 : Apportionment of credit and blocked credits

- (1) Where the goods or services or both are used by the registered person partly for the purpose of any business and partly for other purposes, the amount of credit shall be restricted to so much of the input tax as is attributable to the purposes of his business.
- (2) Where the goods or services or both are used by the registered person partly for effecting taxable supplies including zero-rated supplies under this Act or under the Integrated Goods and Services Tax Act and partly for effecting exempt supplies under the said Acts, the amount of credit shall be restricted to so much of the input tax as is attributable to the said taxable supplies including zero-rated supplies.
- ¹(3) The value of exempt supply under sub-section (2) shall be such as may be prescribed, and shall include supplies on which the recipient is liable to pay tax on reverse charge basis, transactions in securities, sale of land and, subject to clause (b) of paragraph 5 of Schedule II, sale of building.
- ²[**Explanation** - For the purposes of this sub-section, the expression “value of exempt supply” shall not include the value of activities or transaction specified in Schedule III, ³[except,-
- (i) the value of activities or transactions specified in paragraph 5 of the said Schedule; and
- (ii) the value of such activities or transactions as may be prescribed in respect of clause (a) of paragraph 8 of the said Schedule;]
- (4) A banking company or a financial institution including a non-banking financial company, engaged in supplying services by way of accepting deposits, extending loans or advances shall have the option to either comply with the provisions of sub-section (2), or avail of, every month, an amount equal to fifty per cent. of the eligible input tax credit on inputs, capital goods and input services in that month and the rest shall lapse:
- Provided that** the option once exercised shall not be withdrawn during the remaining part of the financial year:
- Provided further** that the restriction of fifty per cent. shall not apply to the tax paid on supplies made by one registered person to another registered person having the same Permanent Account Number.
- (5) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) of section 16 and sub-section (1) of section 18, input tax credit shall not be available in respect of the following, namely: –

1 Refer GST (4th ROD) Order, 2019 [Order No. 4/2019-Central Tax], dt. 29-03-2019 w.e.f. 01-04-2019.

2 Explanation inserted by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 02/2019–Central Tax, dt. 29-01-2019.

3 Substituted for “except those specified in paragraph 5 of the said Schedule;” by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified.

Central Goods & Services Tax Act, 2017

- ⁴[(a) motor vehicles for transportation of persons having approved seating capacity of not more than thirteen persons (including the driver), except when they are used for making the following taxable supplies, namely :-
- (A) further supply of such motor vehicles; or
 - (B) transportation of passengers; or
 - (C) imparting training on driving such motor vehicles;
- (aa) vessel and aircraft except when they are used -
- (i) for making the following taxable supplies, namely -
 - (A) further supply of such vessels or aircraft; or
 - (B) transportation of passengers ; or

4 Clause (a), (aa), (ab) & (b) substituted for previous clause (a) & (b) by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 02/2019–Central Tax, dt. 29-01-2019. Earlier to substitution it read as under:

- (a) motor vehicles and other conveyances except when they are used-
- (i) for making the following taxable supplies, namely: —
 - (A) further supply of such vehicles or conveyances ; or
 - (B) transportation of passengers; or
 - (C) imparting training on driving, flying, navigating such vehicles or conveyances;
 - (ii) for transportation of goods;
- (b) the following supply of goods or services or both-
- (i) food and beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, cosmetic and plastic surgery except where an inward supply of goods or services or both of a particular category is used by a registered person for making an outward taxable supply of the same category of goods or services or both or as an element of a taxable composite or mixed supply;
 - (ii) membership of a club, health and fitness centre;
 - (iii) rent-a-cab, life insurance and health insurance except where —
 - (A) the Government notifies the services which are obligatory for an employer to provide to its employee under any law for the time being in force; o
 - (B) such inward supply of goods or services or both of a particular category is used by a registered person for making an outward taxable supply of the same category of goods or services or both or as part of a taxable composite or mixed supply; and
 - (iv) travel benefits extended to employees on vacation such as leave or home travel concession;”

Central Goods & Services Tax Act, 2017

- (C) imparting training on navigating such vessel ; or
- (D) imparting training on flying such aircraft;
- (ii) for transportation of goods;
- (ab) service of general insurance , servicing , repair and maintenance in so far as they relate to motor vehicles, vessels or aircraft referred to in clause (a) or clause (aa):
Provided that the input tax credit in respect of such services shall be available -
 - (i) Where the motor vehicles, vessels or aircraft referred to in clause (a) or clause (aa) are used for the purposes specified therein;
 - (ii) Where received by a taxable person engaged-
 - (I) in the manufacture of such motor vehicles , vessels or aircraft; or
 - (II) in the supply of general insurance services in respect of such motor vehicles, vessels or aircraft insured by him;
- (b) The following supply of goods or services or both: –
 - (i) food and beverages, outdoor catering, beauty treatment, health services, cosmetic and plastic surgery, leasing, renting or hiring of motor vehicles, vessels or aircraft referred to in clause(a) or clause (aa) except when used for the purposes specified therein, life insurance and health insurance:
Provided that the input tax credit in respect of such goods or services or both shall be available where an inward supply of such goods or services or both is used by a registered person for making an outward taxable supply of the same category of goods or services or both or as an element of a taxable composite or mixed supply;
 - (ii) membership of a club, health and fitness centre; and
 - (iii) travel benefits extended to employees on vacation such as leave or home travel concession:
Provided that the input tax credit in respect of such goods or services or both shall be available, where it is obligatory for an employer to provide the same to its employees under any law for the time being in force.]
- (c) works contract services when supplied for construction of an immovable property (other than plant and machinery) except where it is an input service for further supply of works contract service;
- (d) goods or services or both received by a taxable person for construction of an immovable property (other than plant or machinery) on his own account including when such goods or services or both are used in the course or furtherance of business.

Central Goods & Services Tax Act, 2017

Explanation—For the purposes of clauses (c) and (d), the expression “construction” includes re-construction, renovation, additions or alterations or repairs, to the extent of capitalisation, to the said immovable property;

- (e) goods or services or both on which tax has been paid under section 10;
 - (f) goods or services or both received by a non-resident taxable person except on goods imported by him;
 - ⁵[(fa) goods or services or both received by a taxable person, which are used or intended to be used for activities relating to his obligations under corporate social responsibility referred to in section 135 of the Companies Act, 2013;]
 - (g) goods or services or both used for personal consumption;
 - (h) goods lost, stolen, destroyed, written off or disposed of by way of gift or free samples; and
 - (i) any tax paid in accordance with the provisions of sections 74, 129 and 130.
- (6) The Government may prescribe the manner in which the credit referred to in sub-sections (1) and (2) may be attributed.

Explanation—For the purposes of this Chapter and Chapter VI, the expression “plant and machinery” means apparatus, equipment, and machinery fixed to earth by foundation or structural support that are used for making outward supply of goods or services or both and includes such foundation and structural supports but excludes –

- (i) land, building or any other civil structures;
- (ii) telecommunication towers; and
- (iii) pipelines laid outside the factory premises.

⁵ Clause (fa) inserted by The Finance Act, 2023, effective date yet to be notified.

धारा 17 : प्रत्यय और निरूद्ध प्रत्ययों का प्रभाजन

- (1) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग भागतः किसी कारबार के प्रयोजन के लिए किया जाता है और भागतः अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाता है, वहां प्रत्यय की उतनी रकम को, जिसे उसके कारबार के प्रयोजनों के लिए माना जा सकता है, निर्बंधित किया जाएगा।
- (2) जहां रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा, माल या सेवाओं या दोनों का उपयोग भागतः इस अधिनियम के अधीन या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन शून्य दर पूर्तियों सहित कराधेय पूर्तियों को पूर्ण करने के लिए और भागतः उक्त अधिनियमों के अधीन छूट प्राप्त पूर्तियों को पूर्ण करने के लिए किया जाता है, वहां प्रत्यय की उतनी रकम को, जिसे शून्य दर पूर्तियों सहित उक्त कराधेय पूर्तियों के लिए माना जा सकता है, निर्बंधित किया जाएगा।
- ¹(3) उपधारा (2) के अधीन छूट प्राप्त पूर्तियों का मूल्य वह होगा, जो विहित किया जाए, और उसमें ऐसी पूर्ति, जिस पर प्राप्तिकर्ता प्रतिलोम प्रभार के आधार पर कर के संदाय का दायी है, प्रतिभूति संव्यवहारों, भूमि विक्रय और अनुसूची 2 के पैरा 5 के खंड (ख) के अधीन रहते हुए भवन का विक्रय सम्मिलित होगा।
- ²[स्पष्टीकरण-इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए "छूट-प्राप्त पूर्ति का मूल्य" पद में ³[निम्नलिखित के सिवाय, उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा,-
- (i) उक्त अनुसूची के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य; और
- (ii) उक्त अनुसूची के पैरा 8 के खण्ड (क) के संबंध में ऐसे कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य, जो विहित किये जाये;]
- (4) किसी बैंककारी कंपनी या किसी ऐसी वित्तीय संस्था के पास, जिसके अंतर्गत ऐसी गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनी भी है, जो निक्षेपों का प्रतिग्रहण करके, ऋणों या अग्रिम धनों को प्रदान करके सेवाओं की पूर्ति करने में लगी हुई है, या तो उपधारा (2) के उपबंधों का पालन करने का या प्रत्येक मास में उस मास के इनपुटों, पूंजी माल और इनपुट सेवाओं पर पात्र इनपुट कर प्रत्यय के पचास प्रतिशत के बराबर रकम का उपभोग करने का विकल्प होगा और शेष व्यपगत हो जाएगा :

परन्तु एक बार उपयोग किए गए विकल्प को वित्तीय वर्ष के शेष भाग के दौरान प्रत्याहृत नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और कि पचास प्रतिशत का निर्बंधन एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा समान स्थायी खाता संख्यांक वाले किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को की गई पूर्तियों पर संदत्त कर को लागू नहीं होगा।

- (5) धारा 16 की उपधारा (1) और धारा 18 की उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निम्नलिखित के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध नहीं होगा, अर्थात् :-

- 1 देखें केन्द्रीय माल और सेवा कर (कठिनाईयों का चौथा निवारण) आदेश, 2019 [आदेश सं. 4/2019-केन्द्रीय कर], दिनांक 29.03.2019 (प्रभावशील दिनांक 01.04.2019)।
- 2 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 02/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।
- 3 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा " अनुसूची 3 के पैरा 5 में विनिर्दिष्ट के सिवाय उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्यकलापों या संव्यवहारों का मूल्य सम्मिलित नहीं होगा" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

4[(क) तेरह से अनधिक (चालक सहित) बैठने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों के परिवहन के लिए मोटरयान, सिवाय तब जब उनका उपयोग निम्नलिखित कराधेय पूर्ति करने के लिए किया जाता है, अर्थात् :-

- (क) ऐसे मोटरयान की और पूर्ति; या
- (ख) यात्रियों का परिवहन; या
- (ग) ऐसे मोटरयान को चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना;
- (कक) जलयान और वायुयान, सिवाय तब जब उनका उपयोग-
 - (i) निम्नलिखित कराधेय पूर्ति करने के लिए किया जाता है, अर्थात् :
 - (क) ऐसे जलयान और वायुयान की और पूर्ति; या
 - (ख) यात्रियों का परिवहन; या
 - (ग) ऐसे जलयान चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना; या
 - (घ) ऐसे वायुयान चलाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना;
 - (ii) माल के परिवहन के लिए,
- (कख) साधारण बीमा, मोटरयानों की सर्विसिंग, मरम्मत और अनुरक्षण की सेवाएं, जहां उनका संबंध खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान से है:

परन्तु ऐसी सेवा के लिए इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा-

 - (i) जहां खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान का उपयोग उसमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है;

4 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का क्रमांक 31) द्वारा वर्तमान खंड (क) एवं (ख) के स्थान पर खंड (क), (कक), (कख), (ख) प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।

प्रतिस्थापन के पूर्व यह इस प्रकार थे:

- (क) मोटर यान और अन्य प्रवहण, तब के सिवाय जब उनका उपयोग,-
 - (i) निम्नलिखित कराधेय पूर्तियों के लिए किया जाता है, अर्थात्:-
 - (अ) ऐसे यानों या प्रवहणों की आगे की और पूर्ति के लिए; या
 - (आ) यात्रियों के परिवहन के लिए; या
 - (इ) ऐसे यानों या प्रवहणों के चालन, उड़ान, नौपरिवहन संबंधी प्रशिक्षण देने के लिए;
 - (ii) माल के परिवहन के लिए;
- (ख) माल या सेवाओं या दोनों की निम्नलिखित पूर्ति के लिए:-
 - (i) खाद्य और पेय पदार्थ, बाह्य खानपान, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, प्रसाधन और प्लास्टिक शल्य चिकित्सा, वहां के सिवाय, जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों की आवश्यक पूर्ति का उपयोग वैसे ही प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों की जावक कराधेय पूर्ति के लिए या कराधेय संयुक्त या मिश्रित पूर्ति के कारक के रूप में किया जाता है ;
 - (ii) किसी क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केन्द्र की सदस्यता ;
 - (iii) किराए की गाड़ी, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा, वहां के सिवाय, जहां , -
 - (अ) सरकार ऐसी सेवाओं को अधिसूचित करती है, जिनका तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी नियोजक के लिए उसके कर्मचारियों को उपलब्ध कराना बाध्यकर है; या
 - (आ) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों की ऐसी आवश्यक पूर्ति का उपयोग उसी प्रवर्ग के माल या सेवाओं या दोनों की जावक कराधेय पूर्ति करने के लिए या कराधेय संयुक्त या मिश्रित पूर्ति के भागरूप किया जाता है; और
 - (iv) छुटी या गृह यात्रा रियायत जैसे प्रावकाश पर कर्मचारियों को विस्तारित यात्रा फायदे ;”

- (ii) जहां किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो-
- (I) ऐसे मोटरयान, जलयान या वायुयान के विनिर्माण में लगा हुआ है; या
- (II) उसके द्वारा बीमाकृत ऐसे मोटरयान, जलयान या वायुयान के संबंध में साधारण बीमा सेवाओं की पूर्ति में लगा हुआ है;
- (ख) माल या सेवा या दोनों की निम्नलिखित पूर्ति-
- (i) खाद्य और सुपेय, आउटडोर कैटरिंग, सौंदर्य उपचार, स्वास्थ्य सेवाएं, कॉस्मेटिक और प्लास्टिक शल्यक्रिया, खंड (क) या खंड (कक) में निर्दिष्ट मोटरयान, जलयान या वायुयान सिवाय तब जब उनका उपयोग उनमें विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए किया जाता है, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा:
- परन्तु** ऐसे माल या सेवा या दोनों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा जब ऐसे माल या सेवा या दोनों की आवक पूर्ति का उपयोग किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा उसी प्रवर्ग के माल या सेवा या दोनों की जावक कराधेय पूर्ति के लिए समिश्र या मिश्रित पूर्ति के एक तत्व के रूप में किया जाता है;
- (ii) किसी क्लब, स्वास्थ्य और फिटनेस केन्द्र की सदस्यता; और
- (iii) छुट्टी या गृह यात्रा रियायत, जैसे छुट्टियों पर कर्मचारियों को विस्तारित यात्रा फायदे :
- परन्तु** ऐसे माल या सेवा या दोनों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय उपलब्ध होगा, जहां किसी नियोक्ता के लिए अपने कर्मचारियों को तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन उपबंध करना बाध्यकर हो।]
- (ग) (संयंत्र और मशीनरी से भिन्न) कार्य संविदा सेवाएं, जब उनकी पूर्ति स्थावर संपत्ति के सन्निर्माण के लिए की जाती है, वहां के सिवाय जहां वह कार्य संविदा सेवा आगे और पूर्ति के लिए कोई आवक सेवा है;
- (घ) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा, अपने स्वयं के वास्ते (संयंत्र और मशीनरी से भिन्न) किसी स्थावर संपत्ति के सन्निर्माण के लिए प्राप्त किया गया माल या सेवाएं या दोनों, जिसके अंतर्गत ऐसा माल या सेवाएं या दोनों भी हैं, जिनका उपयोग कारबार के अनुक्रम में या उसे अग्रसर करने के लिए किया जाता है।
- स्पष्टीकरण**—खंड (ग) और खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, "सन्निर्माण" पद के अंतर्गत उक्त स्थावर संपत्ति के पूंजीकरण के विस्तार तक पुनर्निर्माण, नवीनीकरण, परिवर्धन या परिवर्तन या मरम्मत भी है;
- (ड.) ऐसे माल या सेवाओं या दोनों, जिन पर धारा 10 के अधीन कर संदत्त कर दिया गया है;
- (च) किसी अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा, उसके द्वारा आयातित माल पर के सिवाय, प्राप्त माल या सेवाएं या दोनों;
- ⁵(चक) कराधेय व्यक्ति द्वारा प्राप्त किये गये माल या सेवाओं या दोनों का, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 135 में निर्दिष्ट निगम सामाजिक

5 वित्त अधिनियम, 2023 द्वारा खण्ड (चक) अंतःस्थापित। यह संशोधन अभी प्रभावशील नहीं किया गया है।

उत्तरदायित्व के अधीन उसकी बाध्यताओं से संबंधित कार्यकलापों के लिये उपयोग किया जाता है या उपयोग किये जाने के लिये आशयित है;]

(छ) व्यक्तिगत उपभोग के लिए प्रयुक्त माल या सेवाएं या दोनों;

(ज) खोया हुआ, चोरी हुआ, नष्ट हुआ, अपलिखित दान या निःशुल्क सैंपल द्वारा व्ययनित माल;

(झ) धारा 74, धारा 129 और धारा 130 के उपबंधों के अनुसार संदत्त कोई कर।

(6) सरकार ऐसी रीति विहित कर सकेगी, जिसे उपधारा (1) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्यय प्रदान किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय और अध्याय 6 के प्रयोजनों के लिए, “संयंत्र और मशीनरी” पद से ऐसे साधित्र, उपस्कर और बुनियाद या संरचनात्मक आलंब द्वारा भूमि पर स्थिर मशीनरी अभिप्रेत है, जिनका उपयोग माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्ति करने के लिए किया जाता है और इसके अंतर्गत ऐसी बुनियाद या संरचनात्मक आलंब भी हैं, किन्तु इसमें निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं,—

(i) भूमि, भवन या कोई अन्य सिविल संरचनाएं;

(ii) दूर-संचार टावर; और

(iii) कारखाना परिसरों के बाहर बिछाई गई पाइप लाइनें।